make the working of the Constitution in certain problematic situations smoother and more transparent.

The Government proposes to continue the dialogue on this and other subjects which strengthen our democratic polity.

राज्यों में आई० एस० आई० का जाल

2384. **श्री जनार्दन यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान की आई. एस. आई. का जाल किन-किन राज्यों में फैला हुआ है ; और

(ख) आई. एस. आई. की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा अब तक किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद कबूल डार) : (क) यह ध्यान में आया है कि पाक आई.एस.आई.; उग्रवादियों/आतंकवादियों को भारत में और भारत से घुसपैठ कराने के लिए जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, और गुजरात से लगी पाकिस्तानी सीमा का उपयोग कर रही है। उसके अलावा, आई. एस. आई. पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह को सहायता भी देती रही है और भड़काती भी रही है ।

(ख) सरकार, आसूचना तंत्र को सुग्राही और सक्रिय बनाकर, आसूचना के आदान-प्रदान, तथा संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों की समन्वित कार्रवाई के द्वारा आई.एस.आई. के इरादों का मुकाबला करने तथा उन्हें असफल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है । देश के सभी भागों में पाकिस्तान की आई. एस. आई. मोडयूल्स व गतिविधियां, जब भी और जहां भी ये ध्यान में आएं, तो निष्क्रय करने हेतु पुलिस तथा आसूचना संगठनों को निर्देश दिए गए हैं ।

Children sent to Saudi Arabia for Camel Riding Race

2385. SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA:
DR. ALLADI P. RAJKUMAR:
DR. MOHAN BABU:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have seen reports that small children from Bangladesh and India are still being sent to Sarjah for camel race from Indira Gandhi International Airport as the transit point; and

(b) the details in this regard and the steps taken to completely stop this activity on the Indian soil?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) & (b) Delhi Police have reported that no such incident took place at Indira Gandhi International Airport during the year 1997.

गैर-कानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिक

2386. **श्री सूलचन्द मीणा :**
श्री अजीत जोगी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रकार कितने विदेशी नागरिकों की पहचान की गई तथा वे किन-किन देशों के नागरिक थे; और

(ग) उन्हें उनके देश वापस भेजने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) चूंकि विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के अधीन, देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रकों की पहचान करने, उनका पता लगाने और वापस भेजने की शक्तियां, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं, इसलिए ऐसे आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सरकार, पड़ोसी देशों से चोरी छिपे भारत में घुसकर देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी राष्ट्रकों से संबंधित समस्या से अवगत है। ऐसे विदेशी राष्ट्रकों की शिनाख्त करने और उन्हें वापस भेजने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश जारी किए गए है

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकासात्मक गतिविधियां

2387. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या **रक्षा मंत्री** दिनांक 24 जुलाई, 1997 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 27 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिए चीनी सीमा के आस-पास वाले क्षेत्रों का चयन न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या कुल्लू-मनाली-केलांग से लेह-लदाख का मार्ग सबसे छोटा है और इसलिए रक्षात्मक सभी आपूर्तियां इसी मार्ग से की जाती हैं तथा लेह-लद्दाख क्षेत्र पाकिस्तानी सीमा के साथ भी लगा हुआ है ;

(ग) क्या सरकार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों के निर्माणार्थ इस क्षेत्र को धन प्रदान करने पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी. एन. सोमू) : (क) चीन की सीमा से लगे राज्यों को सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में लाना संभव नहीं हो पाया है क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत उपलब्ध धनराशि बहुत सीमित है।

(ख) लेह-लद्दाख क्षेत्र में सामान पहुंचाने के लिए दो सड़क मार्ग उपलब्ध हैं अर्थात (क) जम्मू-श्रीनगर-जोजीला-कारगिल लेह (जोजीला मार्ग), और (ख) पठानकोट-मनाली-रोहतांग-केलांग-लेह (रोहतांग मार्ग) जोजीला मार्ग के लिए सामान उतारने के वास्ते मुख्य रेल स्टेशन जम्मू तथा रोहतांग मार्ग के लिए पठानकोट है। जोजीला मार्ग की दूरी 734 कि०मी० है जबकि रोहतांग मार्ग की दूरी 810 कि० मी० है। जोजीला मार्ग 15 जून से 31 अक्तूबर तक के लिए तथा रोहतांग मार्ग 15 जुलाई से 31 अक्तूबर तक के लिए उपलब्ध रहता है। प्रतिवर्ष लगभग 30 प्रतिशत रक्षा आपूर्तियां रोहतांग मार्ग से होकर तथा शेष आपूर्तियां जोजीला मार्ग से होकर लिए जाने की योजना बनाई जाती है।

लेह-लद्दाख क्षेत्र पाकिस्तान सीमा से लगा हुआ नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

टाडा के अन्तर्गत मामले

2388. **श्री अजीत जोगी :**
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार टाडा के अन्तर्गत राज्य-वार कितने मामले दर्ज किए गए ;

(ख) 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार इन मामलों की सुनवाई के लिए